27/8/2023 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उपस्थित हैं। वकील उभय पक्षकारान ने बहस सुनकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया। उभय बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम कुड़्पाई निषेधाज्ञा दिनांक 01-09-2? को निष्प्रभावी किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है। अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम कुड़्पाई निषेधाज्ञा बाबत आराजी खसरा नम्बर 369/0-92 370/0-85, 412/0-74 है० वाके ग्राम सुरतमनहेड़ी तहसील मुण्डावर निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील ~~सलिल बिलावेस~~ संहागन मूल वाद रहे। सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल है।

सहायक कलक्टर
(अलवर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रे0) मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :- पंकज बडगूजर (RAS)

प्रार्थनापत्र	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
145 / 2021	01.09.2021	27.03..2023

//उनवान//

1 हरचन्द पुत्र हरनारायण जाति जाटव निवासी सुखमनहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज।

:- प्रार्थी

बनाम

1 ब्रहमोदवी पत्नि धर्मवीर

2 भौती देवी पत्नि वीरसिंह

3 मुन्ना देवी पत्नि धर्मेन्द्र जातियान जाट निवासीयान मातौर तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

4 पतराम

5 मानसिंह पुत्रान जुगलाराम

6 राजू

7 विजय कुमार पुत्रान रामचन्द्र जाति जाट निवासी सुखमनहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर

:- अप्रार्थीगण

8 श्रीचन्द

9 फूलचन्द पुत्रान हरनारायण जाति जाट निवासी सुखमनहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर, राज0।

तर0 अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा0दी0 व धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0।

उपस्थितिः- 1 श्री पृथ्वीसिंह यादव - वकील प्रार्थी
2 श्री महेश यादव - वकील अप्रार्थीगण

<u>निर्णय</u> दिनांक-27.03.2023

आज यह प्रार्थनापत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आये। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा आराजी हाल खसरा नम्बर 369/0.92, 370/0.85, 412/0.74 है0 वाके ग्राम सुखमनहेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित होकर प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी कहलायेगी। उक्त आराजी से लगती हुई मिन प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी की तरफ दक्षिण में ख0नं0 414/1.14, 415/1.39 है0 वाके ग्राम सुखमनहेडी में स्थित है जिसमें पहुंचने का रास्ता नहीं था इस कारण दिनांक 12.12.2018 को अन्तर्गत धारा 251अ काश्त0 अधि0 के तहत एक वाद पत्र/प्रार्थनापत्र अदालत श्रीमान के समक्ष पेश किया जिसका दिनांक 06.03.2020 को अप्रार्थीगण की उक्त खरीदशुदा आराजी की पूर्वी डोल के साथ-साथ 12 फुट चौडाई का रास्ता कायम करने के आदेश फरमाते हुए निर्णय पारित किया गया तथा अप्रार्थीगण की

सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज0

आराजीयात में से मुताबिक डीएलसी दर से दो गुणा राशी एवं मौके पर फसल खड़ी होने से 100 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अतिरिक्त राशी का भुगतान किये जाने की शर्त पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये गये थे तथा उक्त निर्णय अनुसार राशी जरिये चालान राजकोष में प्रार्थीगण द्वारा जमा करा दी गई तदुपरांत उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में आजतक अमल दरामद नहीं हुआ है जिसका बेजा फायदा उठाकर प्रार्थी को बरबाद करने के उद्देश्य से अप्रार्थी हरिराम पुत्र ताराचन्द ने उक्त आराजी का रास्ता छोड़कर अपने हिस्से का अप्रार्थीगण 1 ल0 3 को बेचान कर दिया जबकि उक्त ख0नं0 बाबत पूर्व में दिनांक 06.03.2020 को अदालत श्रीमान द्वारा निर्णय किया जाने पर मुताबिक निर्णय समस्त राशी जमा राजकोष करा चुके जाने की स्थिति में रास्ते की भूमि से अप्रार्थीगण का कोई संबंध वा सरौकार नहीं है। कानूनन उक्त खसरा नम्बरान में से निर्णय दिनांक 06.03.2020 में आदेशित रकबे पर उक्तानुसार पूर्णतया मिन प्रार्थीगण को अधिकार हासिल है। अप्रार्थीगण यदि उक्त आराजी में से आने–जाने के रास्ते पर कब्जा करके बाह जौत फसल काश्त करेंगे तो मिन प्रार्थीगण को अत्यधिक नुकसान होगा। आदि–आदि अंकित करते हुए मिन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि विवादित आराजीयात में से श्रीमान के निर्णय मुताबिक खसरा नम्बरान की पूर्वी डोल के साथ–साथ चार मीटर की चौडाई तक कुल रकबा 872 वर्ग मीटर जो हरिराम ने अप्रार्थीगण 1 ल0 3 को बेचान कर दिया है जिसपर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे, रहन बय से मुन्तकिल ना करे व मिन प्रार्थी व तर0 अप्रार्थीगण के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा ना करे, मौके पर कोई कच्चा या पक्का निर्माण कार्य ना करे, रास्ते में बाह जौत कर फसल काश्त नहीं करे का निवेदन रहा।

बाद विधिवत तलबी जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अप्रार्थीगण असल ने अपना जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुए मुताबिक प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि प्रार्थी की आराजी तक पहुंचने के लिए प्रार्थी की आराजी के पश्चिमी ओर से रिकार्डेड रास्ता है प्रार्थी व अन्य काश्तकार इसी रास्ते से कदिमी आवागमन करते आ रहे है उक्त रास्ता कुछ दूरी में रिकार्डेड नहीं है जबकि मौके पर कदिमी चालू रहा है जो आज भी चालू है। प्रार्थी ने पूर्व में धारा 251ए आर.टी.ए. में पेश किया था जिसे अदालत श्रीमान गलत तथ्यों के आधार पर बिना रिकॉर्ड व मौके की स्थिति का अवलोकन किये निर्णित किया गया था जिसकी अपील आर.ए.ए. अदालत अलवर में विचाराधीन है और आप श्रीमान अदालत के निर्णय दिनांक 06.03.2020 का प्रचलन दिनांक 14.07.2021 को स्थगित कर दिया है अब उक्त निर्णय का प्रचलन प्रभावहीन हो गया है उक्त आदेश की आड में वादी/प्रार्थी कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है ना ही निर्णय दिनांक 06.03.2020 के अनुसार वर्तमान वाद के जरिये आदेश की पालना कराने के अधिकारी है ऐसी स्थिति में अपीलेट अदालत द्वारा दिनांक 14.07.2021 में आदेश स्थगित कर दिये जाने पर विचारण न्यायालय में पुनः दावा दायर करने

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज.

के लिए वादी/प्रार्थी बाधित है वादी/प्रार्थी को यदि कोई आदेश दिनांक 14.07.2021 से एतराज है तो उक्त आदेश के खिलाफ निगरानी के जरिये अपास्त कराकर आदेश दिनांक 06.03.2020 को प्रभावी करा सकते है। आराजी मुतनाजा को विक्रय करते समय कोई स्थगन आदेश नहीं था ना ही राजस्व रिकॉर्ड में स्थगन आदेश का नोट लगा हुआ था। क्रेतागण ने प्रतिफल की एवज में बाकब्जा आराजी खरीद की है एवं आराजी में बौरिंग व मकान पूर्व से स्थित है जो बैयनामे में शामिल किए गये है। वादी वाद में तथ्यों को छुपाकर अभिवचन अंकित किए है। वादी शुद्धहस्त होकर नहीं आया है। वादी की बिरचना असाय तथ्यों के आधार पर विधि विरूद्ध की गई है वाद वादी चलने योग्य नहीं होने से काबिल खारीज है। वादी/प्रार्थी ने उक्त रास्ते का कभी उपयोग उपभोग नहीं किया तथा वादी व अन्य काश्तकार आराजीयात के पश्चिम में स्थित रिकार्डेड व कदीमी रास्ते का उपयोग करते आये है तो किसी भी प्रकार की क्षति होने का या असुविधा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है आदि-आदि अंकित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा-खर्चा खरीज किये जाने का निवेदन रहा।

प्रार्थनापत्र के बाबत वकील उभयपक्षकारान बहस दरख्वास्त सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अप्रार्थीगण असल को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई निषेघाज्ञा से पावंद किये जाने का अभिकथन किया एवं ठीक इसी प्रकार वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि आप श्रीमान न्यायालय के आदेश दिनांक 06.03.2020 की आड में विचारण न्यायालय में नया दावा पेश करने में प्रार्थी सक्षम नहीं है साथ ही वकील अप्रार्थी ने श्रीमान न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के द्वारा जारी हरिराम बनाम श्रीचन्द अपील सं0 79/2021 के निर्णय दिनांक 17.01.2023 की प्रमाणित प्रति पेश करते हुए अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रस्तुत अपील स्वीकार की जा चुकी है एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.03.2020 निरस्त किया जा चुका है ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 212 का कोई औचित्य नहीं रह गया है प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जावे का अभिकथन किया।

वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल निर्णय दिनांक 17.01.2023 के अनुसार अपीलीय न्यायालय श्रीमान भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा इस न्यायालय के दिनांक 06.03.2020 में जारी निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील बअनुवानी हरिराम बनाम श्रीचन्द व अन्य को दिनांक 17.01.2023 में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत न्यायालय द्वारा पारीत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.03.2020 को निरस्त कर दिये जाने की स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज योग्य पाता है।

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज.

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं अपीलीए प्रार्थी के प्रार्थनापत्र को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में एवं अपीलीय न्यायालय श्रीमान भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 17.01.2023 जिसके अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत द्वारा पारीत अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.03.2020 निरस्त किया जा चुका है की स्थिति में प्रार्थी के हाल आराजी ख0नं0 369, 370, 412 वाके ग्राम सुखमनहेडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के प्रार्थनापत्र को खारीज किया जाता है एवं पूर्व दिनांक 01.09.2021 में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश निरस्त किये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक **27.03.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

27-03-2023

सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर) राज0

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय सहायक कलक्टर(फा0ट्रे0)
मुण्डावर अलवर, राज0